

राजस्थान सरकार

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक: एफ 21(1)(266-II)पूल/मबावि/15/1-1400

जयपुर, दिनांक: 08/01/19


आदेश

भारत सरकार के आदेश संख्या प.9-3/2008-सीडी-III दिनांक 13-07-09 व 17-01-2013 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आईसीडीएस सामान्य के अन्तर्गत 19 विलोपित परियोजना कार्यालयों से हटाकर 19 नवसृजित परियोजनाओं में निम्नलिखित ग्रामीण बाल विकास परियोजना कार्यालयों के लिए किराये के वाहन की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	नाम परियोजना कार्यालय	किराये की वाहन की संख्या
1	पुष्कर(अजेमर)	एक
2	सरवाड(अजेमर)	एक
3	अरथूना(बांसवाडा)	एक
4	धनउ (बाडमेर) (टीएसपी)	एक
5	पांचू(बीकानेर)	एक
6	बीदासर(चुरु)	एक
7	राजगढ ग्रामीण(चुरु)	एक
8	दौसा द्वितीय-लवाण(दौसा)	एक
9	धौलपुर-द्वितीय-सेपउ	एक
10	जोधरी(डूंगरपुर)(टीएसपी)	एक
11	दोगडा(डूंगरपुर)(टीएसपी)	एक
12	पावटा(जयपुर)	एक
13	जालसू(जयपुर)	एक
14	भवानीमण्डी(झालावाड)	एक
15	अकलेरा(झालावाड)	एक
16	मण्डरायल(करौली)	एक
17	खीवसर(नागौर)	एक
18	नावा(नागौर)	एक
19	फलासिया(उदयपुर)(टीएसपी)	एक

1. वाहन किराये पर लेने एवं किराये के भुगतान सम्बन्धी समस्त कार्यवाही वित्त विभाग के परिपत्र एफ. 9(1)एफडी.1(1)बजट/2012 दिनांक 10-02-2012 एवं 01-07-2013,15.7.15 के अनुसार सुनिश्चित करें, साथ ही भारत सरकार के नॉर्मस के अनुसार ही व्यय किया जावे।
2. वाहनों का उपयोग भारत सरकार द्वारा निर्देशित प्रोग्राम के लिए ही किया जावेगा तथा डीडी/सीडीपीओ का पद रिक्त होने पर किराये का वाहन नहीं लिया जावेगा।

यह आदेश वित्त विभाग की आईडी संख्या 161900004 दिनांक 08-01-19 के अनुसरण में जारी किये गये है।



निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ 21(1)(266-II)पूल/मबावि/15/11401-431,

जयपुर, दिनांक: 23/11/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2 वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
- 3 सम्बन्धित उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग,.....।
- 4 ग्रामीण बाल विकास परियोजना अधिकारी,.....।
- 5 एसीपी(मुख्यालय) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
आदेश पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी पूल
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।